न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, गोण्डा ।

दा0 प्रकीर्ण वाद सं0–302/2025

CNR No. UPGD01003434-2025

मंशाराम बनाम निखिल शुक्ला आदि

दिनांक–14.07.2025

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

आवेदक मंशाराम के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी और विपक्षीगण से जमीन सम्बन्धी विवाद चल रहा है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का पासी है और विपक्षीगण सर्वण जाति के ब्राह्मण है उसी रंजिश के बिना पर उपरोक्त जुमला मुल्जिमान लाठी डण्डा व मिट्टी का तेल के डिब्बा के साथ एकाएक मेरे सहन पर दिनांक 04.06.2025 समय करीब 9.30 बजे दिन में चढ़ आये अपने सहन पर मौजूद प्रार्थी को देखकर निखिल कुमार ने कहा कि यह साला मौके पर मिल गया है इसे जान से मार डालो। निखिल की ललकार पर विवेक शुक्ला मुझ को मारने के लिए हमलावर हुए इतने में सुरेश शुक्ला जो हाथ में मिट्टी के तेल का डिब्बा लिए हुए थे, उन्होंने मेरे छप्पर पर मिट्टी का तेल डिब्बे से उड़ेल दिया और तेल उड़ेल कर मेरे रिहाइशी मकान के छप्पर में माचिश से तीली खींचकर आग लगा दिया और उसी समय जगदीश शुक्ला कह रहे थे कि पासी के झॉट तुम्हे हम लोग गांव से उजाड़ कर छोड़ेगें। प्रार्थी का रिहाइशी मकान जल जाने एवं उसके सारे सामान जो उक्त मकान में रखे हुए थे उसके व मकान के जल जाने से प्रार्थी का करीब 5,00,000/–रू0 का नुकसान हुआ। इस घटना को अमर प्रसाद व राम लखन तथा तमाम लोगों ने देखा है। इस बात का प्रार्थना पत्र एस.ओ. इटियाथोक को दिया, जिस पर उन्होंने न तो प्रार्थी का अभियोग पंजीकृत किया और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही ही किया है। इसके बाद इस आशय का प्रार्थना पत्र एस0पी0 गोण्डा व डी0आई0जी0 देवी पाटन परिक्षेत्र गोण्डा को दिया गया, लेकिन फिर भी आज तक स्थानीय थाना इटियाथोक पर प्रार्थी का अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। ऐसे में विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराकर मामले की विवेचना कराए जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण के आलोक में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 28.06.2025 के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अभियोग थाने पर पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक और विपक्षीगण के बीच आबादी की जमीन के कब्जेदारी को लेकर विवाद है। प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्यों की जानकारी आवेदक को है। वह अपने तथा अपने साक्षियों के बयान से अपने मामले को साबित कर सकता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खण्डपीठ के निर्णय–**सुखवासी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 पेज 739** में माननीय

न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र धारा–156(3) दं0प्र0सं0 में दिए गए तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए जाने तथा विवेचना किए जाने हेतु आदेश पारित करने को बाध्य नहीं है, भले ही प्रार्थना पत्र के तथ्यों से संज्ञेय अपराध होना पाया जाता हो तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अद्यतन निर्णय **मोना पवार प्रति माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रार 2011(2) ए0सी0जे0 पेज 1691** निर्णय में दिए गए विधि सिद्धान्त के आलोक में एवं सम्बधित थाने की आख्या एवं आवेदक के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं अन्तर वस्तुओं के आलोक में मेरी राय में इस प्रकरण के सभी साक्ष्य आवेदक के संज्ञान एवं नियंत्रण में हैं, जिन्हे आवेदक स्वयं प्रस्तुत करके अपने केस को साबित कर सकती है, इसलिए विवेचना कराए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में दर्ज किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक मंशाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 को परिवाद के रूप में दर्ज हो। वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस0 पत्रावली दिनांक–08.09.2025 को पेश हो।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
गोण्डा।

दिनांक–14.07.2025

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2025.07.19 16:07:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court